उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-108/2026/106के-2/22-3-2025-17(234)/25

लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लक्ष्मीनरायन (बंदी संख्या-17821) पुत्र श्री वनवारीलाल, निवासी-फ्रैण्डस कॉलोनी गली नं0-05, कस्बा व थाना-शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-61/10 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-8, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 20-07-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 10-01-2024 तक भोगी गई 14 वर्ष, 06 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 01 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा, जेल रिपोर्ट दिनांक 10-01-2024 के अनुसार बंदी की आयु 64 वर्ष, 03 माह, 03 दिन होने तथा संतोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।**
3- **पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।**
5- **नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-491/2022 बिलकीस याकूब रसूल बनाम भारत संघ व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं, विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।**
6- **निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in